

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-३

लखनऊ: दिनांक १३ अक्टूबर, 2020

विषय:- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण/पठन-पाठन हेतु सामान्य दिशा-निर्देश।

महोदय,

कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-4007/2020/सीएक्स-३, दिनांक ०१ अक्टूबर, २०२० द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों, जिसमें केवल Ph.D शोधार्थीयों तथा परासनातक के छात्रों जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हों, को १५ अक्टूबर, २०२० से खोलने की अनुमति निम्नानुसार होगी :-

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान (Higher Education Institution) के प्रमुख स्वयं आकलन करेंगे कि उनके संस्थानों में (Ph.D) शोधार्थी एवं परासनातक छात्रों जो कि विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं से हो, को प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता हो, संस्थान के प्रबन्धन द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से की जा सकती है।
- (ख) इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को केवल शोधार्थी (Ph.D) एवं परासनातक विज्ञान एवं तकनीकी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों के लिये खोलने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के उपरोक्त (क) के अनुसार निर्गत गाइडलाइंस का पालन किया जाये।

2- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दिनांक १५ अक्टूबर, २०२० से खोले जाने पर निम्न बातों का भी ध्यान रखा जाना उचित होगा:-

१- सामान्य उपाय

- (क) विश्वविद्यालय परिसर में ०६ फीट की शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (ख) अनिवार्य रूप से फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाय।
- (ग) हाथों को बार-बार गंदे न होने पर भी साबुन से हाथ धोना तथा जहाँ तक सम्भव हो अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए।
- (घ) परिसर में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।

- (ङ) टिशू/रुमाल/फजेकर्ड एल्बो के साथ खांसने/छीकने के दौरान नाक एवं इरतेमाल किए गए टिशू को डिस्पोज करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (च) सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी और जल्द से जल्द किसी बीमारी का रिपोर्ट करना।
- (छ) सभी को आरोग्य सेतु का नियमित उपयोग करना।

(2) संस्था खोलने से पहले:-

- (क) कन्टेनमेन्ट जोन में रहने वाले शिक्षक/कर्मचारी तथा छात्रगण को संस्थान में आने की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) संस्था में गतिविधि शुरू करने से पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीएचडी कोर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन जिसमें छात्रावास, प्रयोगशालायें तथा अन्य सामान्य उपयोगी क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाइज कराया जाय।
- (ग) बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।
- (घ) परिसर में अन्दर-बाहर आने-जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छोटी फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।
- (ङ) संस्थान में राज्य हेल्पलाइन नम्बर तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नम्बर आदि भी प्रदर्शित किया जाय।
- (च) एयर कन्डीशन/वेंटीलेशन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- (छ) जब तक छात्र कोविड-19 की बीमारी से मुक्त रहेंगे वह लॉकर का उपयोग करते रहेंगे।
- (ज) जिम का प्रयोग स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के पालन के अनुसार करेंगे।
- (झ) स्विमिंग पूल बन्द रहेंगे।

(3) गतिविधियों की योजना एवं निर्धारण

- (क) परिसर में भीड़भाड़ से बचने के दृष्टि से शैक्षिक कैलेण्डर योजना बनायी जाय। जितना सम्भव हो एकेडमिक कैलेण्डर में नियमित कक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षण के मिश्रण को बढ़ावा देना चाहिए।
- (ख) शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य के लिये दिनवार एवं समयवार का निर्धारण संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- (ग) प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता को कम करते हुए पुनः निर्धारण किया जाय।
- (घ) वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती महिला तथा गम्भीर रूप से रोगी कर्मचारियों को छात्रों के साथ सीधे सम्पर्क वाले कार्यों से दूर रखना चाहिए।

(4) उपलब्धता एवं आपूर्ति का प्रबन्धन

- (क) संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये फेस कवर, मास्क, हैण्ड वॉश तथा सेनिटाइजर का प्रबन्ध होना चाहिये।
- (ख) धर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स तथा 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट तथा डिस्पोजल पेपर, साबुन, कोविड पर आईईसी सामग्री पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए।
- (ग) संस्थान में रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिये पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

- (घ) पर्याप्त मात्रा में कवर किये गये डस्टबीन और कचरे का डिब्बा उपलब्ध होना चाहिए। इस्तेमाल किये गये वस्तुओं एवं सामान्य कचरे को डिस्पोज ॲफ करने के लिये CPCB के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए।
- (ङ) हाउस कीपिंग स्टाफ को डिस्पोजल करने के लिये उनको सूचित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(5) शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के बाद:-

(क) संस्थान में प्रवेश करते समय:-

- प्रवेश करते समय भौतिक दूरी के माप दण्ड को अपनाते हुए धर्मल स्कीनिंग तथा हैड सेनिटाइज किया जाना चाहिए।
- परिसर में शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टॉफ, छात्रों तथा आगंतुकों को अनुमति दी जानी चाहिए।
- कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर प्रमुखता से परिदर्शित होना चाहिए।
- पार्किंग स्थल, गलियारों में तथा लिफ्ट में उचित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित होना चाहिए।

(ख) कक्षा में शिक्षण गतिविधियों का संचालन

- छात्रों को कक्षाओं में बैठने के लिए 06 फीट की दूरी सुनिश्चित किया जाय।
- कक्षाओं में भौतिक दूरी के साथ पर्याप्त समय के लिए अलग-अलग स्लॉट में कक्षाओं की गतिविधियों को पूरा किया जाय।
- शैक्षणिक कार्य हेतु नियमित कक्षा तथा ऑन लाइन कक्षा का मिश्रण होना चाहिए।
- शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि स्वयं तथा छात्र शिक्षण गतिविधियों में मास्क पहने हो।
- छात्रों के बीच लैपटाप, नोटकुक, स्टेशनरी आदि सामान को साझा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) कार्यशालाओं / प्रयोगशालाओं में कौशल आधारित प्रशिक्षण का संचालन

- प्रयोगशाला के उपयोग से पहले यह सुनिश्चित करें के सतहों को सेनिटाइज किया गया हो।
- प्रयोगशाला में कार्य करने वाले व्यक्ति को चार वर्ग मीटर स्थल होना चाहिए।
- प्रयोगशाला में उपकरण के उपयोग करने से पहले और बाद में सेनिटाइज करना चाहिए।

(घ) कॉमन एरिया-लाइब्रेरी कैंटीन कॉमन रूम, जिम आदि में गतिविधियों के सम्बन्ध में

- 06 फीट की भौतिक दूरी बनाये रखनी चाहिए।
- कॉमन एरिया का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हर समय मास्क पहना चाहिए।
- जहाँ तक सम्भव हो कैंटीन को बन्द रखना चाहिए।
- नकद लेने देने से बचना चाहिए।

(6) स्वच्छता

- फर्हा की दिनिक लज्जा से सफाई की जाय।
- पर्याप्त मात्रा में शौचालय में साधुन तथा आच्युतों में सेनिटाइजर वा प्राक्षधन होना चाहिए।
- डोर नॉस्ट इलेक्ट्रो-बटन, हैंडबेल, बेयर बेच, पोशकम तथा किक्स्टर को 01 प्रीशाम साइंगम हाइपोक्लोराइट का लम्पयोग करके बार-दार पुर्झे जाने वाली सलाहों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए।
- शिक्षण समव्यापक्य, कम्यूटर लैपटॉप, प्रिन्टर नियमित रूप से 70 प्रतिशत रेक्कार्ड के भाष्ट सफाई करनी चाहिए।
- लगी पीने वाला हाथ बोन वाले वोशकम तथा लेवेलों की कार्बी सफाई याने चाहिए।
- आओं एवं कम्बियारियों के लिए जनग-अलग कहर के बिच्छा को कलास तम प्रयोगशाला अलग कामने परिया में रखे जाने का इतजाम होना चाहिए, जिससे फेस कर्म/गार्ड को लेवेल में फेंका जा सके। उक्त डब्ल्यू को 03 दिन सूखने के बाद डिस्योज औफ को कलेयाही की जाय। विश्वविद्यालय में आवासीय मज़बूती ती नियमित रूप से सफाईता का ध्यान रखा जाए।

3— इसके साथ ही प्रदेश के विकिस्ता एवं परियार कल्याण विभाग द्वाया विला प्रशासन द्वाया समष्टि-समबू पर दिये गये अन्य निर्देशों का भी अनुपालन अनिवायत सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

हो/-

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)

विशेष सचिव



वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

वेब साइट : www.vbspu.ac.in

ई-मेल : aracadmicvbspu@gmail.com

पृष्ठांकन संख्या— 4318 / शैक्षणिक अनुभाग / 2020

दिनांक 14.10.2020

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि शासन के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें—

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय (यथा— जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर एवं प्रयागराज हांडिया महाविद्यालय) को शासन के निर्देशों के अनुपालन हेतु।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष परिसर पाठ्यक्रम को इस आशय से कि शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. वेबमास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।

14/10/20
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या— संख्या—5107 / सत्तर-3-2020-08(20) / 2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशार्थ उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

कुलसचिव